

समाज सुधार मे महात्मा ज्योतिबा फुले का योगदान

डॉ.हरिचरण मीना, व्याख्याता

समाजशास्त्र विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सवाईमाधोपुर

शोध सारांश:-

समाज सुधार के क्षेत्र मे अनेक समाज सुधारको मे उल्लेखनीय कार्य किये है। महात्मा ज्योतिबा फूले ने भी समाज सुधार के क्षेत्र मे महत्वपूर्ण उल्लेखनीय कार्य किये हैं। सत्यशोधक समाज महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा स्थापित एक ऐसा मंच था, जिसके माध्यम से उन्होंने समाज में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों, परम्पराओं, अन्धविश्वास, विषमताओं, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह निषेध एवं लिंगीय विभेद आदि के विरुद्ध जन आन्दोलन चलाया। उनकी मान्यता थी कि बिना किसी संगठित प्रयास के समाज की बेड़ियों को तोड़ा नहीं जा सकता है। महात्मा फूले कहते थे कि समाज में व्याप्त सामाजिक-धार्मिक कुरीतियों से मुक्ति एवं समरस समाज के निर्माण में बाधक समस्त बेड़ियों को तोड़ने के लिए आमजन को जागरूक एवं शिक्षित होना आवश्यक है। फलतः जनसामान्य तक पहुँच बनाने के लिए उन्हें शिक्षित एवं जागरूक करने के लिए महात्मा फुले ने 24 सितम्बर 1873 में पूना के जूनागंज में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। महात्मा फुले इसके अध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष बने तथा नारायणराव गोविन्दराव कडलक को सचिव बनाया गया।

समाज सुधार के लिए सत्यशोधक समाज की स्थापना का उद्देश्य स्पष्ट करते हुए महात्मा फुले ने कहा कि अपने मतलबी ग्रन्थों के सहारे हजारों वर्षों तक शूद्रों को नीचा मानकर जो ब्राह्मण पुरोहित लूटते आये है, उन लोगों की गुलामगिरी से शूद्रों को मुक्त करने के लिए, सदुपदेश और ज्ञान के द्वारा उन्हें अपने अधिकारों से परिचित करा देने के लिए तथा धर्म एवं व्यवहार सम्बन्धी ब्राह्मणों के बनावटी और धर्म साधक ग्रन्थों से उन्हें मुक्त करने के लिए सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई है।

मुख्य शब्द:-

समाज सुधार, सत्यशोधक, सामाजिक कुरीतियों, परम्पराओं, अन्धविश्वास, विषमताओं, लिंगीय विभेद, गुलामगिरी, भूत-प्रेत, अन्धविश्वास, विशेषाधिकार, पुरोहित, धर्म, ईश्वर, पाप-पुण्य, नरक - स्वर्ग

प्रस्तावना:—

समाज सुधार के क्षेत्र में अनेक समाज सुधारकों में उल्लेखनीय कार्य किये हैं। महात्मा ज्योतिबा फूले ने भी समाज सुधार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उल्लेखनीय कार्य किये हैं। सत्यशोधक समाज महात्मा फूले द्वारा स्थापित एक ऐसा मंच था, जिसके माध्यम से उन्होंने समाज में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों, परम्पराओं, अन्धविश्वास, विषमताओं एवं लिंगीय विभेद आदि के विरुद्ध जन आन्दोलन चलाया। उनकी मान्यता थी कि बिना किसी संगठित प्रयास के समाज की बेड़ियों को तोड़ा नहीं जा सकता है। ज्योतिबा के सत्यशोधक समाज की सदस्यता बिना किसी सामाजिक एवं धार्मिक विभेद के लिए लिए खुला था। इस समाज से न सिर्फ निम्न वर्णों के लोग ही जुड़े थे बल्कि उच्च वर्ण के लोग भी इसके सदस्य हुआ करते थे। सभी ज्योतिबा के साथ कदम मिलाते हुए समाज को उन्नत, समरस एवं प्रगतिशील बनाने का हर सम्भव प्रयास करते थे। सत्यशोधक समाज से समाज के सभी वर्णों के लोग जुड़ सकें इसके लिए ज्योतिबा का यह स्पष्ट विचार था कि इस संगठन में सभी जातियों के व्यक्ति को सदस्य बनाया जायेगा, चाहे वह ब्राह्मण जाति हो या महर था मंग जाति का हो। यही नहीं ज्योतिबा ने देश की प्रगति एवं समृद्धि के लिए संगठन का दरवाजा उन लोगों के लिए भी खोल रखा था, जो कि गैर-हिन्दू थे। उन्होंने यहूदी एवं मुस्लिम धर्म के लोगों को भी संगठन की सदस्यता ग्रहण करने का आह्वान किया था। फलतः समाज के शुरुआती दौर में विभिन्न जाति एवं धर्म के लोग इसके सदस्य बने थे। इन सदस्यों की बैठक सप्ताह में एक दिन (रविवार) सत्यशोधक समाज के समस्त शाखाओं पर आहूत की गयी थी। जिसमें मुख्य रूप से सभी के लिए शिक्षा की अनिवार्यता, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग, धार्मिक क्रिया-कलापों में ब्राह्मण पुरोहितों के अधिकार को समाप्त करना, विवाह से सम्बन्धित रस्मों में कम पैसा लगाना तथा जन सामान्य को फलित ज्योतिष, भूत-प्रेत एवं अन्धविश्वास के प्रति स्थापित विश्वास को खत्म करने पर बल दिया जाता था।

ज्योतिबा फूले सत्यशोधक समाज के माध्यम से लोगों को इस बात की शपथ दिलाते थे कि वे विवाह के दौरान ब्राह्मण पुरोहित को आमंत्रित नहीं करेंगे। पुरोहित के

मद में होने वाले खर्च को समाज कार्यों में लगायेंगे। जिससे समाज में समृद्धि आयेगी और लोग अनावश्यक तनावों से मुक्त रहेंगे।

ज्योतिबा फुले तत्कालीन सरकार को यह दिखाना चाहते थे कि किस प्रकार समाज के निम्न एवं किसान वर्ग प्रताड़ित एवं शोषित किये जाते हैं। वह कहते थे कि खोया हुआ अधिकार संघर्ष के बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता और विशेषतः तब जब सदियों से इस पर ब्राह्मण वर्ण का एकाधिकार रहा हो। ऐसी स्थिति में ज्योतिबा के अनुसार ब्राह्मण वर्ण आसानी से अपने विशेषाधिकार एवं सामाजिक-धार्मिक सत्ता का परित्याग नहीं कर सकते इसके लिए एक मजबूत संगठन की महती आवश्यकता है। वह कहते हैं कि इसका कोई सवाल ही नहीं उठता कि बिना किसी संगठन के इन वर्गों के अधिकारों को सीमित किया जा सकता है और न ही सदियों से शोषित एवं प्रताड़ित निम्न वर्गों को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त किया जा सकता है।

ज्योतिबा किसी भी रस्म में ब्राह्मण पुरोहित की आवश्यकता को अप्रासंगिक मानते थे। उनका विरोध करते थे। जिस प्रकार माता-पिता को प्रसन्न करने के लिए किसी प्रकार की मध्यस्थता की आवश्यकता नहीं होती है उसी प्रकार ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए किसी पुरोहित की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। फलतः पुरोहित ग्रामीणों को सत्यशोधक समाज की सदस्यता न ग्रहण करने की हिदायत देते थे। यदि कोई सदस्य बनता था या पहले ही सदस्य बना रहता था तो पुरोहित द्वारा उन्हें एवं उनके परिवार को अनेक तरह से परेशान किया जाता था। वहीं उनके अधीन कार्यरत कर्मचारियों को नौकरी से हाथ धोने या स्थानान्तरित होने का भय बना रहता था। इसका शिकार सत्यशोधक समाज के सचिव को भी होना पड़ा जब उनका स्थानान्तरण महाबलेश्वर कर दिया गया। इस घटना से शूद्र भयभीत हो गये और यह मानने को विवश हुये कि यदि वे अपने रस्मों में ब्राह्मण पुरोहित को आमंत्रित नहीं करते हैं तो वे ईश्वर का कोपभाजन बनेंगे।

ज्योतिबा फुले लोगों को विवाह में पुरोहित को आमंत्रित नहीं करने का सिर्फ उपदेश ही नहीं दिया करते थे बल्कि सत्यशोधक समाज के बैनर तले बिना ब्राह्मण पुरोहित की उपस्थिति में प्रायः विवाह सम्पन्न कराया करते थे। जिसे तत्कालीन समाचार

पत्रों में भी प्रकाशित किया जाता था, जिसका शीर्षक “बगैर ब्राह्मण पुरोहित का हिन्दू विवाह” हुआ करता था ।

महात्मा ज्योतिबा फुले की मान्यता थी कि समाज में मुख्य रूप से दो ही वर्ग हैं, पहला ब्राह्मणों का जो धर्म का आधार लेकर सर्वत्र अपने अधिकारों की धाक जमा रहा था और दूसरा शूद्र-अतिशूद्रों का, जो इस शोषक वर्ग के सामाजिक और आर्थिक शोषण का शिकार बन रहा था। बड़े मजे की बात है कि धर्म, ईश्वर, पाप-पुण्य, नरक – स्वर्ग आदि के माध्यम से सदियों से पुरोहित वर्ग जन सामान्य का शोषण करता रहा है, उनके विवेक पर चोट करता रहा है। उन्हें अपने से निम्न समझता रहा है। यह प्रक्रिया धीरे-धीरे इतने गहरे स्तर तक पहुँच गयी कि जन सामान्य के मानसिक पटल पर प्रमुखता से स्थापित होती गयी। फलतः आम आदमी चाह कर भी इन मानसिक बेड़ियों से स्वयं को मुक्त नहीं कर पा रहा है। इसलिए ज्योतिबा को यह महसूस हुआ कि एक मजबूत संगठन का निर्माण समय की आवश्यकता है, जिसे उन्होंने सत्यशोधक समाज के माध्यम पूर्ण करने का प्रयास किया ।

महात्मा फुले ने 'सत्यशोधक समाज' के कार्य की तीन दिशाओं की बात कही है। एक, भक्त और भगवान के मध्य किसी बिचौलिये की जरूरत नहीं । बिचौलियों द्वारा लादी गयी धार्मिक गुलामगिरी को नष्ट करना, अन्धश्रद्ध एवं अज्ञानी लोगों को उस गुलामी से मुक्त करना। दूसरी, साहूकारों और जमींदारों के शिकंजे से किसानों को मुक्त करना और तीसरी सभी जातियों के स्त्री-पुरुषों को शिक्षा प्राप्त करा देना सत्यशोधक समाज का काम इन्हीं तीन दिशाओं में बढ़ता हुआ महाराष्ट्र के गाँव-गाँव में पहुँचा था । सर्व सामान्य जनता तक पहुँचा हुआ यह पहला व्यापक सामाजिक सुधार आन्दोलन था। इस आन्दोलन ने शूद्र-अतिशूद्र और स्त्रियों की अस्मिता को जगाने का महत्वपूर्ण कार्य किया।

यद्यपि सत्यशोधक समाज की सदस्यता सभी वर्गों एवं धर्मों के लिए खुली थी लेकिन इसके अधिकतर सदस्य निम्न वर्गों से सम्बन्धित थे। ये शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए होते थे। इसलिए ज्योतिबा इनके ज्ञान को बढ़ाने के लिए सत्यशोधक समाज के माध्यम से वाद-विवाद एवं विभिन्न विषयों पर चर्चा का कार्यक्रम संचालित किया करते

थे । विभिन्न क्षेत्र के विषय विशेषज्ञों को आमंत्रित करते थे, उनसे विभिन्न प्रकार के विषयों यथा – विज्ञान का महत्व, शिक्षा का महत्व, भारत में गरीबी आदि पर व्याख्यान का प्रबन्ध कराते थे, ताकि सदस्यों के ज्ञान का भंडार बढ़े तथा वे समाज की सभी घटनाओं को तार्किक नजरिये से देखें ।

ज्योतिबा फूले जाति व्यवस्था एवं मूर्ति पूजा का प्रबल विरोधी था। ज्योतिबा कहा करते थे कि जहाँ जाति व्यवस्था मानव-मानव के मध्य विभेद करने पर बल देता है वहीं मूर्ति पूजा विवेकशीलता पर प्रहार करता है। ज्योतिबा समस्त मानवों को एक ही ईश्वर का सन्तान मानते थे । इसलिए वह कहा करते थे कि एक ही ईश्वर के सन्तान होने के नाते सभी आपस में भाई है तथा सभी को मिल-जुल कर रहना चाहिए। आपस में बैर-भाव नहीं रखना चाहिए।

ज्योतिबा फूले ने अपने जीवन काल में सामाजिक-धार्मिक सुधार हेतु अनेक ऐसे समाज सुधार आन्दोलन चलाये जाते थे। इनका भी उद्देश्य समाज में व्याप्त सामाजिक विषमता एवं धार्मिक कुरीतियों को खत्म करके सामाजिक-धार्मिक समरसता लाना था। इस तरह के सुधार आन्दोलन में ब्रह्म समाज एवं प्रार्थना समाज अग्रणी थे। लेकिन ज्योतिबा का सत्यशोधक समाज कुछ मायनों में अलग था। जहाँ ब्रह्म समाज एवं प्रार्थना समाज अपने सभी कार्यक्रमों में ब्राह्मण को सर्वोपरि स्थान देते थे वहीं ज्योतिबा कट्टरवादी ब्राह्मणों का सदैव विरोध किया करते थे। ज्योतिबा की मान्यता थी कि ब्राह्मण इस देश के मूल निवासी नहीं हैं बल्कि वे आर्य समूह के लोग हैं जो कि प्राचीन काल में देश की सम्पदा एवं समृद्धि से आकर्षित होकर देश पर आक्रमण किये तथा इस देश के मूल निवासी बन बैठे। जबकि यहाँ के मूल निवासियों को शूद्र की श्रेणी में रखकर उनके साथ हेय दृष्टि से व्यवहार करने लगे।

ज्योतिबा किसी भी धर्मग्रन्थ में विश्वास नहीं करते थे। वह न ही हिन्दू पवित्र धर्म ग्रन्थ श्वेदश में ही विश्वास करते थे और न ही अन्य धर्म-ग्रन्थ यथा- कुरान, बाइबल एवं दैव-वाणी में ही विश्वास करते थे। वे इन सभी को मानवरचित मानते थे। ज्योतिबा का सत्यशोधक समाज सामाजिक क्रान्ति में विश्वास रखता था जबकि ब्रह्म समाज एवं प्रार्थना समाज का विश्वास सामाजिक उद्विकास में था। इस प्रकार

सत्यशोधक समाज पहली ऐसी संस्था थी जिसने आधुनिक भारत में एक सामाजिक आन्दोलन की नींव रखी। यह सामाजिक दासता के विरुद्ध आवाज उठाती थी एवं सामाजिक न्याय की मांग करती थी। सत्यशोधक समाज की आवाज भारत के उन तमान शोषित एवं दलितों की आवाज थी जो सदियों से प्रताड़ित किये जाते रहे।

ज्योतिबा के समय समाज में बाल-विवाह का प्रचलन बहुत था। जिसमें यह भी चलन में था कि अधिक उम्र के पुरुष के साथ बहुत ही कम उम्र की लड़की की शादी कर दी जाती थी। परिणाम यह होता था कि लड़की के जवान होने से पूर्व ही 60-70 वर्ष का बूढ़ा पति मर जाता था तो वह लड़की जीवन का सुख भोगने से पूर्व ही अनाथ हो जाती थी। उसका जीवन बर्बाद हो जाता था। चूँकि बाल विधवा को पुनः शादी करने की अनुमति नहीं थी। इसलिए उसका परिणाम बहुत बुरा देखने को मिलता था। इस विषय में ज्योतिबा कहते थे कि 'पवित्रता' का खोखला दिखावा करने वाले भयंकर बेशर्म आर्य अपनी जवान और पंगू भौजाई, बहू के यौवनावस्था में प्रवेश करते ही रात-दिन ऐसे पीछा करते हैं जिससे कि स्वभावतः उनके कदम गलत रास्ते पर पड़ जाते हैं। परिणाम यह होता कि उनको गर्भपात करके भ्रूण हत्या करानी पड़ती है। जो निश्चित रूप से अमानवीय कृत्य है। ऐसी समस्याओं से निजात दिलाने के लिए ज्योतिबा ने एक बालहत्या प्रतिबन्धक गृह की स्थापना की। जिसका उद्देश्य था कि यदि कोई विधवा गर्भ धारण कर लेती है तो गुप्त रूप से आकर अपने शिशु को जन्म दे सकती है। ज्योतिबा ने इसकी जानकारी देने के लिए पूना के घर-घर में पोस्टर लगवाए थे। उस पोस्टर में लिखा होता था कि श्विधवाओं! यहां आकर गुप्त रूप तथा सुरक्षित रूप से बच्चे को जन्म दो। तुम अपने बच्चे को ले जाते हो अथवा यहां रखना चाहते हो यह तुम्हारी इच्छा पर निर्भर रहेगा। उस बच्चे की देखभाल यह अनाथाश्रम ही करेगा। बड़े मजे की बात है कि इसी गृह में एक ब्राह्मण विधवा ने एक बालक को जन्म दिया जिसें फूले दम्पति ने गोद ले लिया, जो बाद में डॉ. यशवन्त फूले के नाम से जाने जाना लगा।

महात्मा ज्योतिबा के समय समाज में विधवाओं की दशा बहुत ही सोचनीय थी। किसी भी शुभ कार्य में विधवा की उपस्थिति अशुभ मानी जाती थी। प्रातः सोकर उठते हुए विधवा को देखना डायन देखने के समान था। विधवा को अनेक पाबन्दियों में रहना

पड़ता था, उसके साथ व्यवहार किया जाता था। उसकी इच्छाओं का ख्याल नहीं रखा जाता था। अपने ही घर में उसे स्वतंत्र रूप से चलने की इजाजत नहीं थी। उसे अपने शरीर पर किसी भी प्रकार के आभूषण धारण करने की मनाही थी, अच्छे कपड़े भी नहीं पहन सकती थी। पारिवारिक उत्सवों में स्त्रियोचित वस्तु धारण करने की भी मनाही थी, यहाँ तक कि अपने ही बच्चों के जनेऊ संस्कार एवं वैवाहिक कार्यक्रम के दौरान भी किसी भी प्रकार की आभूषण धारण करने की मनाही थी।

उस समय समाज में विधवाओं को अपने सिर का मुंडन करवाना आवश्यक था। ऐसा न करने पर उसके घर आयोजित किसी भी संस्कार में उस जाति के लोग शिरकत नहीं करते थे। उसके साथ निचले दर्जे तक अमानवीय व्यवहार किया जाता था। एक बार नासिक के ब्राह्मण पुरोहितों ने एक विधवा का मृत्यु संस्कार सम्पन्न कराने से इसलिए इन्कार कर दिया कि उसका मुंडन नहीं हुआ था। फलतः संस्कार से पूर्व उसका मुंडन कराना आवश्यक हो गया और मुंडन संस्कार के पश्चात् ही मृत्यु संस्कार सम्पन्न हो पाया।

समाज में विधवाओं के साथ इस तरह का अमानवीय व्यवहार ज्योतिबा को बहुत विचलित कर दिया और वह इसका तीव्र विरोध करने लगे। सत्यशोधक समाज के माध्यम से वह विधवाओं के जीवन को सरल एवं सुखी बनाने का हर सम्भव प्रयास करने लगे। ज्योतिबा विधवा विवाह के समर्थक थे। सत्यशोधक समाज के माध्यम से उन्होंने ऐसी विधवाओं का विवाह सम्पन्न कराया जो कि जवानी से पूर्व ही विधवा हो गयी थी। 8 मार्च, 1860 में पूना में उन्होंने शेणवी जाति की एक विधवा का पुनर्विवाह उन्ही की जाति के विधुर के साथ सम्पन्न कराया। इसी तरह 1871 में एम.जी. रानाडे की विधवा बहन का विवाह सत्यशोधक समाज के चौनर तले ज्योतिबा ने सम्पन्न कराया। यद्यपि भारत सरकार द्वारा 25 जुलाई, 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून बना दिया गया था लेकिन उस पर अमल सर्वप्रथम सत्यशोधक समाज द्वारा ही किया गया। जो नारी स्वतंत्रता के मार्ग में एक क्रान्तिकारी कदम था।

निष्कर्ष:—

निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि महात्मा ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज के माध्यम से समाज में नयी चेतना एवं ऊर्जा लाने का कार्य किया। सदियों से चली आ रही सामाजिक-धार्मिक कुरीतियों को मिटाने का कार्य किया उनका यह कार्य वस्तुतः भारतीय बन्द समाज के लिए एक क्रान्तिकारी कार्य था। उन्होंने बाल विवाह का विरोध किया एवं विधवा पुनःविवाह का समर्थन किया। सत्यशोधक समाज के माध्यम से ज्योतिबा फुले ने विधवाओं के जीवन को सरल एवं सुखी बनाने का हर सम्भव प्रयास किया। ज्योतिबा विधवा विवाह के समर्थक थे। यद्यपि भारत सरकार द्वारा 25 जुलाई, 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून बना दिया गया था लेकिन उस पर अमल सर्वप्रथम सत्यशोधक समाज द्वारा ही किया गया। जो नारी स्वतंत्रता के मार्ग में एक क्रान्तिकारी कदम था। यही कारण है कि ज्योतिबा फुले को सामाजिक क्रान्तिकारी भी कहा जाता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- आगलावे, सरोज : ज्योतिबा फुले का सामाजिक दर्शन, सम्यक प्रकाशन, नई दिल्ली, 2005.
- कवलेकर, काशीनाथ के. : नान- ब्रह्मिन मूवमेंट इन साउथ इण्डिया 1873-1949, शिवाजी यूनिवर्सिटी प्रेस, कोल्हापुर 1979.
- कीर, डी. : महात्मा ज्योतिबा राव फूले - फादर ऑफ इण्डियन सोशल रिवोल्यूशन, पापुलर प्रकाशन, बम्बई 1974.
- विमल, कीर्ति : सचित्र फूले जीवनी, सम्यक प्रकाशन, नई दिल्ली.
- शहा, मुरलीधर वंशीलाल : भारतीय समाज क्रान्ति के जनक, महात्मा ज्योतिबा फूले, राधाकृष्ण प्रकाशन, दिल्ली 2002.
- मेघवाल, कुसुम : भारतीय नारी के उद्धारक बाबा साहेब डॉ. बी. आर. अम्बेडकर, सम्यक प्रकाशन, नई दिल्ली, 2010.
- विमल, कीर्ति (अनुवादित) : गुलामगीरी - सम्यक प्रकाशन, नई दिल्ली, 2009.